दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि : 27 मार्च, 2014
निर्णय तिथि : 1 अप्रैल, 2014

आप.अ. 1357/2011

सुराज ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री शेख इसरार अहमद, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

न्या. श्री एस.पी.गर्ग

1. सूरज (अपीलार्थी) ने पुलिस स्टेशन एच.एन.दीन में दर्ज प्राथमिकी सं. 277/09 के मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 17.02.2011 के निर्णय को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत उसे भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया गया था। दिनांक 19.02.2011 को सजा के आदेश द्वारा उसे पांच साल के कठिन कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि आरोप-पत्र में बताया गया है, यह था कि 04.07.2009 को शाम लगभग 06.30 बजे, मकान सं. 210, निकट कुरैशी मस्जिद, बस्ती हजरत निजामुद्दीन के सामने, अपीलार्थी-सूरज ने हत्या करने के इरादे से, स्वेच्छा से शोभा रानी, प्रेम वती, रितु और ठाकुर सिंह पर तेजाब फेंककर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई। पीड़ितों की चिकित्सकीय जांच की गई। जांच अधिकारी ने परिवादी-रितु (प्र. अभि.सा.-1/क) का बयान दर्ज करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। तथ्यों से परिचित साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद, अभियुक्त के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत आरोप-पत्र दायर किया गया; उस पर विधिवत आरोप लगाए गए; और वाद चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता को स्थापित करने के लिए दस साक्षियों की जांच की। धारा 313 के बयान में अपीलार्थी ने झूठे आरोप लगाने का दावा किया और दलील दी कि उसकी भाभी शोभा रानी द्वारा लाठी से सिर पर चोट लगने के बाद उसने तेजाब फेंका था। उसने बचाव पक्ष के किसी साक्षी से पूछताछ नहीं की। वाद के परिणामस्वरूप उसे भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य ने भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत उसे बरी किए जाने को चुनौती नहीं दी।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा फाइल की जांच की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि पीड़ितों को लगी चोटें गंभीर

उकसावे का परिणाम थीं, जब सूरज के सिर पर लाठी से प्रहार किया गया था। हमलावरों के खिलाफ कोई क्रॉस-केस दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित उसके करीबी रिश्तेदार हैं तथा उसकी संपत्ति हड़पने का इरादा रखते थे। जेल में बंद होने के बाद वे एक झुग्गी हड़पने में सफल हो गए। दंड आदेश को संशोधित करने के लिए प्रार्थना की गई, क्योंकि अपीलार्थी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था तथा लगभग एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है। वह अविवाहित है तथा उसकी संपत्ति/झुग्गी की देखभाल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि अपीलार्थी द्वारा बिना किसी उकसावे के जानबूझकर तथा स्वेच्छा से उन पर तेजाब फेंका गया था।

4. घटना शाम करीब 06.30 बजे हुई। शोभा रानी, प्रेम वती, रितु और ठाकुर सिंह नामक पीड़ित एसिड फेंकने के कारण जल गए थे और उनकी सफदरजंग अस्पताल में एमएलसी (क्रमशः प्र. अभि.सा.-8/क, प्र. अभि.सा.-8/ख, प्र. अभि.सा.-8/ग और प्र. अभि.सा.-8/घ) के माध्यम से चिकित्सकीय जांच की गई। एमएलसी ने उनके पहुंचने का समय रात 09.30 बजे दर्ज किया। अभि.सा.-8 (डॉ. मोनिशा) ने पीड़ितों की चिकित्सकीय जांच की और उन्हें लगी चोटों की प्रकृति को 'एसिड के कारण खतरनाक' बताया। घटना के बारे में दैनिक डायरी (डीडी) सं. 56ख शाम 06.48 बजे दर्ज की गई। जांच एएसआई नरेंद्र को सौंपी गई जो एचसी बीडी निवास के साथ घटनास्थल पर

गए। रुक्का (प्र. अभि.सा.-10/क) को बयान (प्र. अभि.सा.-1/क) दर्ज करने के बाद रात 11.30 बजे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजा गया। स्पष्टतः, प्राथमिकी दर्ज करने में कोई अत्यधिक देरी नहीं की गई। शिकायत में, रितु (अभि.सा.-1) ने घटना का विस्तार से वर्णन किया तथा बताया कि कैसे तथा किन परिस्थितियों में सूरज ने उस पर तथा उसकी मां शोभा रानी पर तेजाब फेंका। जब उसकी मौसी प्रेमवती तथा भाई ठाकुर ने हस्तक्षेप किया, तो सूरज ने उन पर भी तेजाब फेंका। अभि.सा.-1 के रूप में पेश होते हुए, रितु ने पुलिस को दिए गए बयान को बिना किसी बड़े बदलाव के साबित किया। उसने बयान दिया कि 04.07.2009 को शाम लगभग 06.30 बजे जब वह तथा उसकी मां घर में मौजूद थे, तो अभियुक्त सूरज आया तथा उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। जब उसकी मां ने इसका विरोध किया, तो अभियुक्त ने उसे बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद, अभियुक्त सूरज अपने घर के अंदर गया, तेजाब से भरी बोतल लाया तथा उसे उसकी मां के स्तन पर फेंक दिया। उसने उस पर भी तेजाब फेंका, जिससे उसके दाहिने चेहरे, दोनों कंधों तथा छाती के सामने के ऊपरी हिस्से पर जलन हुई। शोर सुनकर जब प्रेमवती और ठाकुर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी तेजाब फेंक दिया। उन्हें उसके पिता ने सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया, जिन्हें फोन पर इसकी सूचना दी गई। पुलिस अस्पताल पहुंची और उसका बयान दर्ज किया (प्र.अभि.सा.-1/क)। प्रति परीक्षा में उसने स्वीकार किया कि सूरज उसका चाचा है और वे सभी एक ही परिसर में स्थित घरों में रहते हैं। बेहोश होने पर उसे उसके चचेरे भाई ने गोद में उठाकर

सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। उसने इस बात से इनकार किया कि उसकी मां और भाइयों ने अभियुक्त के साथ झगड़े में लाठी से उसके सिर पर चोट पहुंचाई और जब अभियुक्त ने पुलिस को सूचना देने की धमकी दी तो परिवार के किसी व्यक्ति ने तेजाब की बोतल उठाकर उसकी ओर फेंकी जो दीवार पर लगी और तेजाब पीड़ितों पर छलक गया। अभि.सा.-3 (रोहित) ने भी सूरज को उन सभी पर तेजाब फेंकने के लिए दोषी ठहराया। अभि.सा.-4 (शोभा रानी) और अभि.सा.-5 (प्रेमवती) की गवाही भी ऐसी ही है। तेजाब के कारण पीड़ितों को लगी चोटों को चुनौती नहीं दी जा सकती। 313 के बयान में अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा तेजाब फेंका जाना गंभीर उत्तेजना के कारण था, जिससे उसके सिर पर लाठी से चोट लग गई। अपीलार्थी के लिए यह संदेह से परे साबित करना जरूरी था कि गंभीर और अचानक उकसावे के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के दौरान चोटें पहुंचाई गईं। हालांकि, उन्होंने अपने बचाव को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जिसने उनके सिर पर लाठी से चोट पहुंचाई हो। ऐसा कोई अपराध हथियार बरामद नहीं हुआ। अपीलार्थी ने खुद को चोट पहुंचाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। एमएलसी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें रात 08.15 बजे जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स ले जाया गया और उनकी मेडिकल जांच की गई। इसमें उल्लिखित कथित इतिहास में, यह दर्ज है कि लोगों द्वारा हमला करके शाम 06.00 बजे के आसपास उनकी पिटाई की गई थी। सूरज ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं

दिया कि किस व्यक्ति/पीड़ित ने उनके सिर पर लाठी से चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने वाद के दौरान परस्पर विरोधी और असंगत दलीलें दीं। अभि.सा. से प्रति परीक्षा में उन्होंने सुझाव दिया कि परिवार के किसी व्यक्ति ने उन पर तेजाब फेंका था, जो दीवार पर लगा और उसके छींटे पीड़ितों को चोट पहुँचाने लगे। इस संभावना का पता लगाने के लिए अभि.सा.-8 (डॉ. मोनिशा) के समक्ष ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा गया। अभि.सा.-2 (ठाकुर सिंह) को छोड़कर पीड़ितों के बयान सुसंगत हैं। प्रति परीक्षा के बावजूद, उनके बयानों में कोई ऐसी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई जिससे उन पर विश्वास न किया जा सके। हालांकि, अभि.सा.-2 (ठाकुर सिंह) ने सभी भौतिक तथ्यों पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया और कहा कि उनकी माँ और बहन को चोटें उनकी उपस्थिति में नहीं आईं और जब उनकी बहन रितु उर्फ रेशमा ने उनसे हाथापाई की, तो तेजाब के कारण उन्हें जलने की चोटें आईं। उनके बयान को बाहर करने से अन्य पीड़ितों द्वारा दिए गए ठोस और विश्वसनीय बयान को कमजोर नहीं किया जा सकेगा। न्यायालय की टिप्पणियां तब दर्ज की गईं जब पीड़ित-अभि.सा.-1 (रितु), 23 वर्षीय एक युवा लड़की ने अपने चेहरे और दाहिने कंधे पर अभी भी दिखाई देने वाले जलने के निशान दिखाए। उसने कंधे और ऊपरी छाती पर अन्य जलने के निशान दिखाने का भी प्रयास किया। हालांकि, एक महिला की विनम्रता को ध्यान में रखते हुए, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। अभि.सा.-4 (शोभा रानी) ने न्यायालय में अपना बयान दर्ज करते समय अपने दोनों हाथ भी दिखाए, जिन पर अभी भी जलने के निशान थे।

रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरें पीड़ितों, खासकर रितु और शोभा रानी को लगी चोटों की गंभीरता को दर्शाती हैं। आंखों से ली गई गवाही मेडिकल साक्ष्य के अनुरूप है। निर्णय साक्ष्य के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है और दोषसिद्धि के निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. अपीलार्थी को पांच साल की कठिन कारावास तथा 10,000/- रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपीलार्थी को पांच वर्ष के कठिन कारावास तथा 10,000/- रुपए का जुर्माना लगाया गया। दिनांक 08.11.11 की नामावली से पता चलता है कि अपीलार्थी को एक वर्ष और दस दिन के कारावास के अलावा दो महीने और पांच दिन की छूट भी मिली थी। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था तथा वह पहला अपराधी था। उसका समग्र जेल आचरण संतोषजनक था। विवाद परिवार के सदस्यों के बीच अचानक हुआ था। दिनांक 14.11.2011 के आदेश के अनुसार मूल सजा को निलंबित कर दिया गया तथा अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि उसने अपनी रिहाई के बाद स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया या ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त रहा। शोभा रानी (15%), रितु (10%), ठाकुर सिंह (1%) तथा प्रेम वती (1%) को जलने की चोटें आई थीं। इन सभी परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के शरीर पर भी चोटें आई हैं, सजा के आदेश को संशोधित किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मुख्य सजा को घटाकर तीन साल की कठिन कारावास सहित 1,000 रुपए

जुर्माना किया जाता है और जुर्माना अदा न करने पर भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत पंद्रह दिनों की अतिरिक्त कठिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।

6. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह सजा की शेष अवधि काटने के लिए 16.04.2014 को विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करे। रजिस्ट्री इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख को तुरंत प्रेषित करेगी।

(एस.पी.गर्ग)

न्यायधीश

1 अप्रैल, 2014

सीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*